न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 37/2025

नानकचन्द पुत्र श्रीरामकृष्ण जाति बावरी साकिन डबलीवास मिढ़ा रोही तहसील व जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र भजनाराम जाति बावरी साकिन 35 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया	प्रार्थी
2. श्री औम प्रकाश अरोड़ा	अप्रार्थी सं. 1
3. राज पैरोकार	अप्रार्थी सं. 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–18/08/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रार्थना पत्र के तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि प्रार्थी के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 139 आर. डी. के. खाता सं. 265 के प.नं. 4/340 के किला नं. 13, 18, 19, 2012, 22, 23 कुल 1.391 हैक. अ.क. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 139 आर.डी. के खाता सं. 165 के प.नं. 4/340 के किला नं. 21, प.नं. 4/341 के किला नं. 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2 कुल तादादी 1.075 हैक. नहरी अ.क. म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि प.नं. 4/341 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक किला मे 0.025–0.025 हैक. गै.मु.रास्ता स्वीकृत है जो मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से अप्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे आवगमन करता है और प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के प.नं. 4/341 के किला नं. 3 की कुंट व 4, 5 मे से आवागमन व कृषि औजार इत्यादि लेकर जाता है। वर्तमान मे अप्रार्थी के किला नं. 3, 4, 5 मे उक्त रा[illegible]। प्रार्थी की कृषि भूमि को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई सरल, [illegible] है इसलिए प्रार्थी की कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 1 के नाम से वर्णित कृषि भूमि चक 139 आर.डी. के प.नं. 4/341 के किला नं. 3/.0009 उत्तरी पूर्वी कुट, 4/.0125, 5/.011 बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे। उक्त रास्ता के एवज मे प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 को डीएलसी दर से दौगुणी राशि देने के लिए तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम से वर्णित कृषि भूमि चक 139 आर.डी. के प.नं. 4/341 के किला नं. 31.0009 उत्तरी पूर्वी कुंट, 4/.0125,

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:51:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

.011 बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बारास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख मे अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता के दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी संख्या 1 को नोटिस जारी किया गया एवं बाद तामिल नोटिस प्राप्त होने पर हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता श्री औम प्रकाश आरोड़ा की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत कर बाद बहस निर्णय प्रार्थना पत्र स्वीकार होकर अप्रार्थी संख्या 1 से जवाब प्रस्तुत होने पर शामिल पत्रावली किया गया है।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 निम्न प्रकार है– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का विवरण सही दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थी नानकचन्द, अक्कीराम अवतार, सतनाम पिसरान शिवराम कृष्ण जाति बावरी के नाम इसी चक के इसी पत्थर नम्बर 4/340 के किला नं. 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23 व इसी चक के प.नं. 5/340 के किला नं. 1 ता 10, की कुल 5.870 हैव. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसका इनके द्वारा विभाजन करवाया गया। विभाजन करवाकर उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई इसके अतिरिक्त इन चारो भाईयो के नाम इसी चक के इसी प.नं. 3/340 के किला नं. 2 व 3/1, की कुल 0.304 हैव. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका भी प्रार्थी के द्वारा हवाला नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा जान बुझकर मुझ अप्रार्थी की भूमि से रास्ते हड़पने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी द्वारा जान बुझकर गलत तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में उक्त भूमि मुझ अप्रार्थी सं. 1 के नाम होना अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा की शुरूआत में यह तथ्य कि अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि प.नं. 4/341 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता स्वीकृत है व मौके पर चालु है अस्वीकार है। उक्त भूमि में से किला नं. 5 ही मुझ अप्रार्थी के पास है शेष किलो के काश्तकार को पक्षकार नही बनाय गया है इसलिए भी प्रार्थना पत्र अस्वीकार है। प्रार्थी मुझ अप्रार्थी के खेत में से आना जाना नहीं करता ना ही रास्ता चालु है। अप्रार्थी को उनकी खुदी की कृषि भूमि प.नं. 4/340 के किला नं. 2 व 3/1 से रास्ता प.नं. 4/340 के किला नं. 1 व 2 में रास्ता चालु है जो कि स्वीकृतशुदा रास्ते से लगता है इसके अतिरिक्त प. नं. 5/340 के किला नं. 1 ता 10 के चीपता हुआ रास्ता स्वीकृत है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी के भाईया के नाम थी । प्रार्थी व प्रार्थीया के भाईयों द्वारा सहमती से खाला रास्ता की सुविधा रखते हुए खाता विभाजन करवाया था व यदि उक्त प्रार्थी को उसके अनुसार रास्ता नहीं लगता है तो उसे उक्त भूमि नहीं लेनी चाहिए चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थी के भाईया की कृषि भूमि जो कि उपर वर्णित है के दोनो साईडो में स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है तथा इसी चक के प.नं. 4/340 के किला नं. 1 व 2 व प.नं. 5/340 के किला नं. 5 में भी रास्ता चालु है तथा मौके पर भी चालु है जो कि प्रार्थी की कृषि भूमि को लगता है। प्रार्थी को रास्ता लगता है प्रार्थी नया रास्ता स्वीकृत नहीं करवा सकता ना ही मुझ अप्रार्थी के खेत में से आना जाना करता है ना ही मुझ अप्रार्थी के खेत में रास्ता चालु है। प्रार्थी की कृषि भूमि जो प्रार्थी द्वारा लिखाई गई कृषि भूमि को रास्ता लगता है प्रार्थी उसी रास्ते से आना जाना करता

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें । श्रीमान जी कि अति कृपा होगी।

अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता में आने वाली भूमि प. नं. 4/341 (67) कि.नं. 3/0.253,–4/0.253, 5/1/0.228 खातेदार लक्ष्मण पुत्र भजनाराम के नाम दर्ज है। खातेदार लक्ष्मण पुत्र भजनाराम पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गये रास्ते के अलावा उस भूमि में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:31:35 IST
Reason: SelfAttested

ही है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता ही सबसे कम दूरी का रास्त है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक प.नं. 5/340 (59) कि.नं 1 ता 5 व प.नं. 6/340 (60) कि.नं. 1 ता 2 मौके पर चालू है। मौके पर कि नं. 2 में पूर्व से पश्चिम बंद है। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली पत्र प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि रास्ता प्रकरण में खाता विभाजन के प्रावधान लागू है वैकल्पिक रास्ता बंद है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि भूमि खाता विभाजन से प्राप्त है रास्ता का प्रावधान खाता विभाजन के समय क्यों नहीं रखा। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी के मुरब्बे को रास्ता लगता है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि को छुपाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गए–

1. आरआरटी 2023 पृष्ठ संख्या 1165
2. आरआरटी 2024 पृष्ठ संख्या 933

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उक्त रकबा सयुक्त खाता हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध है अतः विकल्प की उपलब्धता, आंत्यातिक आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 18/09/25 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:51:35 IST
Reason: SelfAttested